न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 105/2020 (2020/00489) दर्ज दिनांक 12.10.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. गोपीलाल पुत्र चमना जाट निवासी विजैपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. मांगु आत्मज भुरा गाडरी
2. देवीलाल आत्मज गोपीलाल जाट
3. बद्रीलाल आत्मज हिरा गुस्साई
4. रतन आत्मज परसा जाट
5. माधु आत्मज परसा जाट
6. बदामी पुत्री परसा जाट
7. केशी पत्नि परसा जाट
8. पारसमल आत्मज जोधा जाट
9. मांगु आत्मज श्रीराम जाट
10. सोहन आत्मज श्रीराम जाट

सर्व निवासी विजैपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री जगदीश चन्द्र चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–11.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम विजेपुरपटवार हल्का सालेरातहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 81 रकबा 3.31 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 3.31 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 22 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं।प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थी पक्ष की बहस को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:36:15 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन कर प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम विजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 81 रकबा 3.31 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 3.31 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 22 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1000/– (एक हजार रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1000/– (एक हजाररू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:36:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner